न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 49 / 2025

1. काशीराम
2. श्योनारायण
3. श्रवण कुमार

} पिसरान हनुमान प्रसाद जाति नाई, साकिनान बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

4. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश, जाति बिश्नोई, साकिन बिलोचावाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. अधिक्षण अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अधिषाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग पीलीबंगा, नहरी कॉलोनी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. जल संसाधन विभाग	अप्रार्थी संख्या 3 ता 5
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी सं. 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–03/11/2025

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि अनवान प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शिर्षक मे निवेदित है। यह कि मिन प्रार्थीगण के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल.जी.डब्ल्यु. –बी के खाता स. 10/8 के प.न.29/287 (11) किला न. 6 ता 9,10/0.152, 11/1/0.139, 12 ता 15 की कुल 2. 315 हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी स. 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व प्रार्थी स.4 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, उसी अनुसार कब्जाकाश्त है। किसी प्रकार विवाद नही है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सों पर कब्जा काश्त है, कृषि भूमि सयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थीगण हक व हिस्सें अनुसार काश्त करते आ रहे है। कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है लेकिन कृषि भूमि की पानी की बारी बन्दी हुई है, कृषि भूमि नहरी पानी से सिंचित होती है। जिसकी पानी की बारी प्रार्थीगण प्रत्येक की अपने हक व हिस्से अनुसार बारीया बन्दी हुई है व सिंचाई विभाग से पानी की बारी की पर्चीया सतरोजा बारी की बाराबंदी लागू की हुई है। सिंचाई विभाग अप्रार्थी स.2 ता 4 जो कि सिंचाई विभाग के अधिकारी है के द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित है की कई वर्षो से पानी सिंचाई के उपलब्ध करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:21:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी स.2 ता 4 द्वारा सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने के पश्चात् समस्त कृषि भूमि नहरी पानी से सिंचित होती है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड दर्ज है। जबकि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि का समस्त रकबा " कमाण्ड श्रेणी" में आता है व रकबा कमाण्ड श्रेणी में आने बाद व नहरी पानी से सिंचित होने के कारण प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित समस्त कृषि भूमि को अनकमाण्ड से कमाण्ड करवाने के अधिकारी है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ जो अप्रार्थी स. 3 है के द्वारा दिनांक 14.10.2022 को क्रमांक न. टी. 7/3873 दिनांक 14.10.2022 को कमाण्ड श्रेणी की तस्दीक जारी की गई है। जो सलग्न प्रार्थना पत्र है व पानी की बारी की पर्चीया सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि जिसकी पानी की बारी सिंचाई विभाग द्वारा बान्दी हुई है व सिंचाई विभाग के नियमों के अनुसार कृषि भूमि सिंचाई पानी से सिंचित होती है, जो अनकमाण्ड से कमाण्ड की श्रेणी में आती है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को जो पानी सिंचाई से सिंचित हो रही है को अनकमाण्ड से कमाण्ड करवाने के अधिकारी है तथा उसी अनुसार प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि को अनकमाण्ड शब्द हटाया जाकर कमाण्ड शब्द दर्ज किया जावे व इसी प्रकार के आदेश फरमाये जावे कि अनकमाण्ड की जगह कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि को अनकमाण्ड शब्द हटाया जाकर कमाण्ड शब्द दर्ज किया जावे व इसी प्रकार के आदेश फरमाये जावे कि अनकमाण्ड की जगह कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 1 जरिये तहसीलदार पीलीबंगा की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 823 दिनांक 29.10.25 के द्वारा प्राप्त हुई है मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट चक 7 एल.जी. डब्ल्यू.– बी. के खाता संख्या 10/8 के प.नं. 29/287 मु.नं. 11 कि.नं. 6 ता 10, 11/1, 12 ता 15 की 2. 315 हैक्ट. अ.क. कृषि भूमि काशीराम पुत्र हनुमान प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति नाई साकिन बिलोचावाला खातेदार, विनोद कुमार पुत्र औमप्रकाश हिस्सा 1/2 जाति बिश्नोई साकिन बिलोचावाला खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीलीबंगा, श्योनारायण पुत्र हनुमान प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति नाई साकिन बिलोचावाला खातेदार, श्रवण कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद हिस्सा 1/6 जाति नाई साकिन बिलोचावाला खातेदार के नाम रकबा अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट उक्त भूमि पर कोई सक्षम न्यायालय का वाद / स्थगन आदि प्रस्तुत नही है।

प्रकरण में तथ्यात्मकरिपोर्ट सिचाई विभाग कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ पत्रांक 1871 दिनांक 13/10/25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट मु.न. 29/287 किला न. 6 ता 15 कमाण्ड श्रेणी है। जो कि अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत हनुमानगढ के पत्रांक SE/NO.57T/255 दिनांक 05.08.1983 द्वारा कमाण्ड घोषित हुआ है।

बहस सुनी गई। बहस में अधिवकता प्रार्थी द्वारा [illegible] गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अनकमाण्ड राजस्व रिकार्ड मे कमाण्ड के आदेश [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट व जलसंसाधन खण्ड रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार र[illegible] अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसे अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत हनुमानगढ के पत्रांक SE/NO.57T/255 दिनांक 05.08.1983 द्वारा कमाण्ड घोषित हुआ है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर 7 एल.जी.डब्ल्यु.–बी के खाता स. 10/8 के प.न. 29/287 (11) किला न. 6 ता 9,10/0.152, 11/1/0.139, 12 ता 15 की कुल 2. 315 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:21:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अनकमाण्ड कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में कमाण्ड दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। आदेश किसी प्रकार का स्थगन वाद नहीं होने की दशा में तहसीलदार पीलीबंगा अमलदरामद करे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश दिनांक 03/11/2025 सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:21:22 IST
Reason: SelfAttested